(200)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC043/2011-BHO/ 987

दि0 – 12-6-2012,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषयः बैतूल एवं छिन्दवाड़ा जिले में 220 के0व्ही0 सारणी–पांढुर्णा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माणार्थ 38.90 हे0 आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि (31.19 हे0 आरक्षित/संरक्षित एवं 7.71 हे0 राजस्व वनभूमि) मध्यप्रदेश पावर ट्रांन्समिशन कम्पनी लिमि0 को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 043/2011–बीएचओ/3746 दिनांक 22/09/2011
2. अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्रांक एफ–4/2/29/2011/10–11/विद्युत/1586 दिनांक 10/05/2012
3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA नई दिल्ली पत्र कमांक 1–20/2012–केम्पा दिनांक 02/06/2012

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–4/2/29/2011/10–11/1668 दिनांक 4/6/2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा, केन्द्र सरकार की ओर से 38.90 हे0 आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि (31.19 हे0 आरक्षित/संरक्षित एवं 7.71 हे0 राजस्व वनभूमि) मध्यप्रदेश पावर ट्रांन्समिशन कम्पनी लिमि0 को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 77.80 हे0 अवकमित वनभूमि (ग्राम वन समिति–परसोड़ी, कक्ष कमांक–पी एफ 694, तह0–बैतूल , जिला–बैतूल) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3 अ) पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेडों की कटाई कम से कम हो।
ब) वन क्षेत्रों के ऊपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।
स) वनभूमि पर पारेषण लाईन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 31.00 मीटर होगी ।
द) प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिंजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की छटाई (Lopping)की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख–रखाव किया जा सके । वृक्षों की कटाई केवल प्रत्येक चालक के नीचे 3 मीटर चौड़ाई तक सीमित होगी ।

.......2

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्र.)
म.प्र., भोपाल

(201)

ई) अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 4.6 मीटर की न्यूनतम सफाई रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जायेगी । न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।

फ) पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।

4. ट्रान्समिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेष कर स्थानीय पौधों का) वृक्षारोपण संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जायेगा । यदि आर0ओ0डब्ल्यू0 में 3 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण किसी कारण से किया जाना संभव न हो तो आर0ओ0 डब्ल्यू0 से बाहर औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव बनाकर पूर्ण औचित्य सहित नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।

5. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल उत्तर बैतूल / दक्षिण बैतूल / दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
4. कार्यपालन यंत्री, अति0 उच्च दाब (निर्माण संभाग) म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, इटारसी, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)